क्रम-सं0-86

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2024
24 ज्येष्ठ, शक संवत् 1946

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 183/वि0स0/प0का0/15(प)/2023 टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-71, खैर, जिला-अलीगढ़ से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं;

और, चूंकि, श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि द्वारा अपने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 14 जून, 2024 के अपराह्न से त्याग-पत्र दे दिया गया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-190 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत दिनांक 14 जून, 2024 के अपराह्न को स्वीकार कर लिया गया है;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि का उक्त स्थान दिनांक 14 जून, 2024 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 06 राजपत्र (54)-14-06-2024-585+15 प्रतियां।